राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)

डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर – 302005

email:pd.rghs@rajasthan.gov.in

Ph. No. 0141-2740252

No:F.1(240)RGHS/C/22-23/ 4506

Date: 20/01/2023

परिपत्र – 10

विषय :– राज्य कर्मियों के आरजीएचएस में अंशदान के संबंध में ।

संदर्भ :– वित्त (बीमा) विभाग का आदेश क्रमांक F.5(5)FD/Insurance/2020 Pt II Jaipur, दिनांक 19.04.2022 एवं स्पष्टीकरण आदेश F.5(5)FD/Insurance/2021 Pt II, दिनांक 20.07.2021 ।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022 की पालना में दिनांक 01.04.2022 से पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू होने के पश्चात राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अन्तर्गत 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को भी 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के समान कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करवायी जा रही है। जिसके संबध में वित्त (बीमा) विभाग का आदेश क्रमांक F.5(5)FD/Insurance/2020 Pt II Jaipur, दिनांक **19.04.2022** द्वारा राज्यकर्मियों का आरजीएचएस में अंशदान निर्धारित किया गया है। प्रायः यह देखने में आया है कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उक्त आदेश में निर्धारित स्लैब के अनुसार नहीं की जा रही है, जोकि राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना है।

साथ ही वित्त (बीमा) विभाग के स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 20.07.2021 से स्पष्ट है की कार्मिक के परिवीक्षा काल में अंशदान कटौती नियत वेतनमान के स्थान पर जिस मूल वेतन पर नियुक्ति हुई है, के निर्धारित स्लैब के अनुसार की जानी है।

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीन नियमित/परिवीक्षाधीन राज्यकर्मियों की वेतन श्रृंखला (स्लैब) के अनुसार वेतन से प्रतिमाह अंशदान की कटौती वित्त (बीमा) विभाग के आदेश क्रमांक F.5(5)FD/Insurance/2020 Part II दिनांक 19.04.2022 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही जिन कार्मिकों की पूर्व में अंशदान की कटौती नियमानुसार नहीं हुई है, उनकी बकाया अंशदान राशि एरियर Paymanager/PRI Paymanager के माध्यम से माह फरवरी देय मार्च 2023 के वेतन के साथ जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिन कार्मिकों का वेतन Paymanager/PRI Paymanager से आहरित होता है, उनकी आरजीएचएस कटौतियां/एरियर ई–ग्रास चालान के माध्यम से स्वीकार्य नहीं होगी।

कार्मिकों की अंशदान की कटौती राशि निर्धारित स्लैब के अनुसार नहीं होने की स्थिति में, ऐसे कार्मिकों के आरजीएचएस कार्ड ब्लॉक कर दिये जायेगें, जिसके अभाव में वे योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं कार्मिक की होगी।

Join Telegram

(कल्पना अग्रवाल)
निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

No:F.1(240)RGHS/C/22-23/

Date:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय), शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. समस्त वरि0 अति0/अति0 निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय।
10. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभाग।
11. विशेषाधिकारी, आरजीएचएस, जयपुर।
12. संयु0 परि0 निदेशक (सा0प्र0/सतर्कता/क्लेम यूनिट), आरजीएचएस, जयपुर।
13. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त जिला कार्यालयों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि लाभार्थियों की सुलभता हेतु इस परिपत्र को कार्यालय में चस्पा करावे।
14. लेखा शाखा, आरजीएचएस।
15. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भेजकर लेख है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
16. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आरजीएचएस को भेजकर लेख है कि इसे आरजीएचएच पोर्टल पर अपलोड करावें।
17. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी राजस्थान।
18. समस्त कोषाधिकारी, कोष कार्यालय।
19. प्रभारी, 181 आरजीएचएस हेल्पलाइन, वित्त भवन, जयपुर।
20. रक्षित पत्रावली।

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक, आरजीएचएस

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (Insurance) DEPARTMENT

F.5(5)FD/Insurance/2020 Part-II Jaipur, dated : 19 APR 2022

ORDER

Sub: Subscription to the Rajasthan Government Health Scheme Fund.

Ref: This Department's Order of even number dated 7-7-2021 and 7-9-2021.

With reference to the Finance Department's orders of even number dated 7-7-2021 and 7-9-2021, the Governor is pleased to order that the rates of subscription to the Rajasthan Government Health Scheme Fund will be as under for the following categories :-

(i) All the employees of State Government who are drawing pay in the prescribed levels in the Pay Matrix as prescribed under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 and in the scale of pay structure identical to the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 :-

S. N.	Category of Government Servants	Subscription per month (Rs)
1	2	3
1	Employees drawing basic pay in the Pay Matrix upto Rs. 18000/-	265.00
2	Employees drawing basic pay in the Pay Matrix above Rs. 18000/- but upto Rs.33500/-	440.00
3	Employees drawing basic pay in the Pay Matrix above Rs.33500/- but upto Rs.54000/-	658.00
4	Employees drawing basic pay in the Pay Matrix above Rs.54000/-	875.00

(ii) For all the employees of the State Government drawing pay in the running pay band and grade pay prescribed under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 and in the scale of pay structure identical to the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 :

S. N.	Category of Government Servants	Subscription per month (Rs)
1	2	3
1	Employees drawing basic pay upto Rs 7000/-	265.00
2	Employees drawing basic pay above Rs 7000/- but upto Rs. 13000/-	440.00
3	Employees drawing basic pay above 13000/- but upto Rs 21000/-	658.00
4	Employees drawing basic pay above Rs 21000/-	875.00

(iii) For all the employees of the State Government drawing pay in the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1998 and under pay scale rules prior to 1-1-2006:

S. N.	Category of Government Servants	Subscription per month (Rs)
1	2	3
1	Employees drawing basic pay upto Rs 3000/-	265.00
2	Employees drawing basic pay above Rs 3000/- but upto Rs. 6000/-	440.00
3	Employees drawing basic pay above 6000/- but upto Rs 9000/-	658:00
4	Employees drawing basic pay above Rs 9000/-	875.00

This order shall come into force from 1-4-2022 i.e. subscription shall be commenced from the salary for the month of April, 2022 payable on 1st May, 2022.

By order of the Governor,

(Naresh Kumar Thakral)
Secretary, Finance (Exp.)

Copy forwarded to the–
1. Principal Secretary to Hon'ble Governor.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
5. Sr. D.S. to Chief Secretary.
6. Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies).
7. All Heads of the Departments.
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to all Sub- Treasury Officers.
9. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
10. All Treasury Officers.
11. All Sections of the Secretariat.
12. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
13. Vidhi Rachana Sanghthan, for Hindi translation.
14. Technical Director, Finance Department (Computer Cell).
15. Guard File.

Copy also to the –
1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Subordinate Legislative Committees.
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
4. Secretary, LokayuktaSachivalaya, Rajasthan, Jaipur.

Joint Secretary 19/4/2022
FD (Insurance)

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांकः प.5(5)वित्त/बीमा/2022पार्ट–।। जयपुर, दिनांक 19.04.2022

आदेश

विषय : राजस्थान सरकार स्वास्थ्य स्कीम निधि में अभिदाय।

संदर्भ : इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2021 एवं 07.09.2021।

वित्त विभाग के दिनांक 07.07.2021 एवं 07.09.2021 के समसंख्यक आदेशों के संदर्भ में राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य स्कीम निधि में अभिदाय की दरें निम्नलिखित प्रवर्गों के लिए निम्नानुसार होंगीः–

i. राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों जो, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अधीन यथा विहित वेतन मैट्रिक्स में तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के समरूप वेतनमान संरचना में, वेतन आहरित कर रहे है,–

क्रम सं.	सरकारी कर्मचारियों का प्रवर्ग	प्रतिमास अभिदाय (रु.)
1	2	3
1.	18000/–रु. तक वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	265.00
2.	18000/–रु. से अधिक किन्तु रु. 33500/– रु. तक वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	440.00
3.	33500/–रु. से अधिक किन्तु रु. 54000/– रु. तक वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	658.00
4.	54000/– रु. से अधिक वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	875.00

ii. राज्य सरकार के उन समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अधीन विहित चालू वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन में तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के समरूप वेतनमान संरचना में, वेतन आहरित कर रहे है,–

क्रम सं.	सरकारी कर्मचारियों का प्रवर्ग	प्रतिमास अभिदाय (रु.)
1	2	3
1.	7000/–रु. तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	265.00
2.	7000/–रु. से अधिक किन्तु रु. 13000/– रु. तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	440.00
3.	13000/–रु. से अधिक किन्तु रु. 21000/– रु. तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	658.00
4.	21000/– रु. से अधिक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	875.00

iii. राज्य सरकार के उन समस्त कर्मचारियों के लिए जो, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1998 में और 01.01.2006 से पूर्व वेतनमानों नियमों के अधीन, वेतन आहरित कर रहे है,—

क्रम सं.	सरकारी कर्मचारियों का प्रवर्ग	प्रतिमास अभिदाय (रु.)
1	2	3
1.	3000/—रु. तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	265.00
2.	3000/—रु. से अधिक किन्तु रु. 6000/— रु. तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	440.00
3.	6000/—रु. से अधिक किन्तु रु. 9000/— रु. तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	658.00
4.	9000/— रु. से अधिक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	875.00

यह आदेश दिनांक 01.04.2022 से प्रवृत होगा अर्थात् अभिदाय, 1 मई 2022 को संदेय, माह अप्रैल, 2022 के वेतन से प्रारम्भ किया जायेगा।

(नरेश कुमार ठकराल)
शासन सचिव,
वित्त (व्यय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान ।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय/राज्य मंत्री महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट सचिव।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार ।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष ।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर को 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित (उपकोष कार्यालयों हेतु)
9. उप निदेशक (सांख्यकी), मुख्यमंत्री कार्यालय।
10. समस्त कोषाधिकारी ।
11. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय
12. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप—7) विभाग ।
13. विधि रचना संस्थान, राजस्थान जयपुर।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर
15. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान जयपुर ।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.5(5)वित्त/बीमा/2020 पार्ट–II जयपुर, दिनांक **20.07.2021**

स्पष्टीकरण–आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2021 द्वारा **राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस)** की अंशदान कटौती दरें निर्धारित की गयी हैं।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि:–

1. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं न्यायिक सेवा के अधिकारियों, जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 के पश्चात हुई है, को राज मेडिक्लेम पॉलिसी जारी नही की जाती है बल्कि ये अधिकारी अपने संबंधित चिकित्सा परिचर्या नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हैं और इनसे आरपीएमएफ के अंशदान की राशि प्राप्त की जाती है। अतः उक्त अधिकारियों के संबंध में समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2021 के कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित दर ही लागू होगी, अर्थात जो पूर्व में आरपीएमएफ के अन्तर्गत कटौती थी, वही अब आरजीएचएस लागू होने से आरजीएचएस फण्ड के अन्तर्गत की जायेगी।

2. परिवीक्षाधीन कार्मिकों के संबंध में GPF और State Insurance की कोई कटौती नहीं होती है। परिवीक्षा काल पूर्ण होने के उपरान्त ही कटौती की जाती है, परन्तु परिवीक्षाधीन अवधि में राज मेडिक्लेम की सुविधा देय है। अतः आदेश दिनांक 07.07.2021 में दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के अनुसार आरजीएचएस फण्ड के अन्तर्गत कटौती की जानी है। इस हेतु परिवीक्षाधीन कार्मिक जिस पद पर नियुक्त हुए हैं, उस पद की पे–मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित स्लेब में, जो कि दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर लागू है, उक्त आदेश के नोट संख्या 2 का विकल्प देते हुए कटौती की जानी है।

समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2021 में उल्लेखित वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम संख्या एफ 1 (4) वित्त/नियम/2021 की दिनांक **15.04.2020 को दिनांक 15.04.2021 पढ़ा जावे।**

यह स्पष्टीकरण वित्त (नियम) विभाग से **बारकोड़ संख्या 322100247 दिनांक 19.07.2021** पर प्राप्त परामर्श के अनुसरण में जारी किया जाता है।

20/7/2021

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

F.5 (5) 20

कृ.पृ.उ.

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय,राजस्थान।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय/राज्य मंत्री महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. निदेशक (सांख्यिकी) मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान जयपुर।
12. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप—7) विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. विधि रचना संस्थान, राजस्थान जयपुर।
15. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर अनुभाग)
16. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि अन्य को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान जयपुर।

20/7/2021

संयुक्त शासन सचिव

F.5 (5) 20